न्यायालय सिविल जज (जू०डि०)एफ०टी०सी० तृतीय, प्रतापगढ़।
मूलवाद संख्या-२१४५/२०२२
धर्मराज सिंह **बनाम** सीताराम आदि

दिनांकः१३.१०.२०२२

वादपत्र प्रस्तुत हुआ। मुंसरिम आख्या का अवलोकन किया। मूलवाद के रुप में दर्ज रजिस्टर हो। वास्ते लिखित कथन दिनांक २७.१०.२०२२ एवं तनकीह १०.११.२०२२ को पेश हो।

सिविल जज (जू०डि०),
एफ०टी०सी० तृतीय, प्रतापगढ़।

प्रार्थना पत्र ६ग२ अंतर्गत आदेश ३९ नियम १ जा०दी० मय शपथपत्र ७ग२ पर वादी के विद्वान अधिवक्ता को सुना एवं उपलब्ध प्रपत्रों का अवलोकन किया।

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद स्थायी निषेधाज्ञा के अनुतोष हेतु प्रतिवादीगण के विरुद्ध विवादित गाटा सं० १५/१ रकबा ०.०८९ हे० विवादित रकबा सम्पूर्ण के बावत प्रस्तुत किया गया है। वादी द्वारा सूची पत्र १०ग१ से उद्धरण खतौनी कागज सं०११ग१ दाखिल किया गया है। वादी द्वारा प्रस्तुत प्रपत्रों के अवलोकन से विदित है कि विवादित गाटा सं० राजस्व अभिलेखों में प्रतिवादीगण के नाम दर्ज है। वादी का नाम विवादित गाटा सं० के संबंध में राजस्व अभिलेखों में दर्ज नहीं है। इसके अतिरिक्त वादी द्वारा अन्य कोई प्रपत्र दाखिल नहीं किया गया है। जिससे कि यह स्पष्ट हो पाता की वादी विवादित सम्पत्ति का उपयोग व उपभोग किस प्रकार से कर रहे हैं। ऐसे में मामले के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों में प्रथम दृष्टया बिना प्रतिवादी पक्ष को सुनवाई का अवसर दिये एक पक्षीय अस्थायी निषेधाज्ञा निर्गत किये जाने का आधार पर्याप्त नहीं है।

अतः वाद में दिनांक २७.१०.२०२२ की तिथि प्रार्थना पत्र ६ग२ आपत्ति/निस्तारण हेतु नियत की जाती है। प्रतिवादी को नोटिस निर्गत हो। पैरवी अंदर तीन दिवस की जावे।

सिविल जज (जू०डि०),
एफ०टी०सी० तृतीय, प्रतापगढ़।

<u>निस्तारण प्रार्थना पत्र ८ग२</u>

प्रार्थनापत्र ८ग२ आदेश २६ नियम ९ जा०दी० प्रस्तुत हुआ। आधार पर्याप्त है, स्वीकृत। कमीशन हेतु पैरवी अंदर सप्ताह हो। पैरवी उपरांत वरीयताक्रम के अमीन/साधारण आयुक्त को रिट परवाना जारी हो। नियुक्त कमिश्नर को निर्देशित किया जाता है कि नियमानुसार कमीशन कार्य सम्पादित करें एवं कमीशन आख्या मय पैमाना, नक्शा एवं चौहद्दी नियत तिथि तक दाखिल करें।

सिविल जज (जू०डि०),
एफ०टी०सी० तृतीय, प्रतापगढ़।

Digitally signed by NIDHI MADHAV KURIL
Date: 2022.10.18 11:17:10 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court